जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 22.09.2024

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए दबाब बनाने व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

दिनांक 21.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 12.08.2024 को वादी श्री सतेन्द्र कुमार पुत्र चतुर्वेदी निवासी ग्राम खेड़ीकरमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ने अपने पिता के द्वारा प्लाट के खरदीने के बाद अनिल कुमार की पत्नी रेनू द्वारा अवैध रुप से कब्जा करने व वादी के पिता से प्लाट खरदीने वाले महक सिंह के द्वारा बैनामे की धनराशि वापस मांगने का दबाव बनाने के मामले में वादी के पिता द्वारा आत्महत्या करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर व थाना प्रभारी कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.महक सिह पुत्र सुरेशचन्द कश्यप निवासी ग्राम खेडीकरमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

दिनांक 21.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शिवकुमार उर्फ बाला पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 527/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामलें में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 22.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 20.09.2024 को थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.प्रवीण पुत्र महीवार प्रसाद निवासी मौहल्ला रेलपार थाना आदर्श मन्डी जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

दिनांक 21.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.अब्दुल पुत्र खुर्शीद कुरैशी निवासी मौहल्ला काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध कच्ची शराब बरामदः-</u>

आज दिनांक 22.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 15 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.चन्द्रपाल पुत्र रामकुमार निवासी खेडी जुनारदार थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 15 लीटर कच्ची शराब।